Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 29-08-2005
Participants : Gangwar Shri Santosh Kumar,Gavit Shri Manikrao Hodlya,Gavit Shri Manikrao Hodlya,Singh Ch. Lal

>

Title : Motion for consideration of the displaced persons claims and other laws repeal Bill, 2005, as passed by Rajya Sabha – Motion passed.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री शिवराज वि. पाटील की ओर से प्रस्ताव करता हूं :-

> " कि विस्थापित व्यक्ति दावे अधिनियम, 1950 और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill to repeal the Displaced Persons (claims) Act, 1950 and certain other enactments, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

श्री संतोा गंगवार उपाध्यक्ष महोदय, यह रिपील बिल है, इसलिए इसमें कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे बिल हैं जो आजादी के समय और उससे पहले के हैं और जिनकी अब कोई आवश्यकता या उ पयोगिता नहीं है। पहले भी कई बार कहा गया है कि सब रिपील बिलों को एक साथ इकट्ठा करके वापिस कर लिया जाए क्योंकि बिना वजह बिल बने हुए हैं और उनका वार्ों से कोई उपयोग नहीं हो रहा है।

मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसके बारे में विचार करें और अगले सत्र में सब बिलों को रिपील कर दें। इसमें कुछ बोलने की आ वश्यकता नहीं है। यह राज्य सभा में बिना बहस पारित हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लाल सिंह, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

चौधरी लाल सिंह जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : एनडीए ने सपोर्ट किया है और कहा है कि हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहते।

चौधरी लाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मेरा बोलना जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बोलिए। मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप रूलिंग पार्टी से बिलॉग करते हैं।

चौधरी लाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी स्टेट जम्मू कश्मीर है। पहले जो एक्ट बने थे, उन्हें खत्म किया जा रहा है। हमारे राज्य में दस पाकिस्तानी पाकिस्तान से आए थे। उनको इस एक्ट के मुताबिक आज तक कुछ नहीं मिला। यह तो खत्म होने जा रहा है, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं मिले। सियालकोट के नजदीक जम्मू कश्मीर के साथ सरहदें लगती थीं। जब माइग्रेशन हुआ तो सब लोग अपनी-अपनी जगह पहुंच गए। हिन्दुस्तान में 1950 में एक्ट बने, उसके बाद अमैंडमैंट भी हुए। जिन लोगों को रिफ्यूजी करार दिया गया, उनकी डेवलपमैंट के लिए उन्हें जमीन दी गई, इंटरेस्ट-फ्री-लोन दिया गया और साथ ही फ्री-एजूकेशन दी गई। लेकिन आज जो 80,000 लोग जम्मू कश्मीर में हैं, उनको कुछ नहीं मिला। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उन लोगों के लिए क्या सोच रही है। यह ठीक है कि हिन्दुस्तान में बाकी जगह यह इम्प्लीमैंट हुआ। वे लोग आज भी कहते हैं कि हमें उस राज्य से बाहर ले जाएं। वे असैम्बली का वोट नहीं डाल सकते, न वे सैंट्रल गवर्नमैंट की नौकरी ले सकते हैं क्योंकि वहां भी सर्टीफिकेट दिखाना पड़ता है, वे जमीन नहीं खरीद सकते, राशन नहीं ले सकते, आईएवाई में मकान नहीं ले सकते और न ही वे पैंशन मांग सकते हैं। वे सरपंच, नम्बरदार नहीं बन सकते। वे वोटर ही नहीं हैं तो एमएलए कैसे बनेंगे। उनकी इस तरह की पोजीशन है। हमारा एक एरिया ऐसा है जिसे आपको देखना होगा।

मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पीओके, माइनॉरिटी कम्युनिटी जो जम्मू कश्मीर में आकर सैटल हुई, जो सिख और हिन्दू सैटल हुए, आज भी उनकी परमानैंट प्रॉपर्टी पाकिस्तान में रखी है। यह कहा गया कि यह मसला यूएनओ का cè[R56]। आप यहां इस जायदाद के पक्के हकदार नहीं बन सकते। आज असेम्बली में उनकी 24 सीटें खाली पड़ी हैं। उनको उसका कोई राइट नहीं है क्योंकि वे इलैक्शन नहीं लड़ सकते हैं। आज मीरपुर में मंगला डैम बना है। वहां के मुसलमानों को उसका कम्पेनसैशन मिला है लेकिन जो सिख, हिन्दू आदि लोग आये हैं, उनको उस मंगला डैम की जमीन का कोई कम्पेनसैशन नहीं मिला। इसी तरीके से उस जमाने का जो जेएंडके बैंक पाकिस्तान में था, उस बैंक में जिन लोगों के पैसे जमा थे, आज भी वे बुजुर्ग अपनी पास बुक लेकर घूम रहे हैं लेकिन उनको अपना पैसा नहीं मिल रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे यहां लोग तीन-तीन बार डिस्पलेस्ड हुए हैं। कश्मीरी पंडित की जो कम्युनिटी है, वे भी वहां से पूरे हिन्दुस्तान में चले गये हैं। हमारा कहना है कि इस कानून को हटाया जाये, लेकिन कम से कम रियासत जम्मू-कश्मीर के लिए भी आपको सोचना चाहिए कि इन लोगों का क्या किया जाये। वे भी इंसान हैं, इसलिए उनका भी ख्याल रखा जाये। आज उनके बच्चे अनपढ़ रह गये हैं। उनके पास जमीन नहीं होने के कारण न तो रोज़गार है और न ही कोई और काम है। कुछ लोगों ने वहां गाड़ियां चलाकर थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया है, लेकिन आज भी काफी लोग कैम्पों में रहते हैं। उनको लोग रिफ्यूज़ी कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग डिस्पलेसमैंट के शिकार हुए हैं, उन्हें कब तक बेनीफिट मिलेगा ? मेरा इस बिल को अपोज करने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि यह जो एक्ट बना है, जम्मू-कश्मीर में जो लोग बाहर से आये हैं, उनको इस एक्ट का कोई बेनीफिट नहीं मिला। हमारी सरकार उनको बेनीफिट देने के बारे में क्या सोच रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : डॉ. सुजान चक्रवर्ती - अनुपस्थित।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के बारे में कुछ टिप्पणियां माननीय सदन को बताना चाहता हूं। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, हमने यह विधेयक पांच अधिनियमों अर्थात् विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम, 1950; विस्थापित व्यक्ति (दावे), अनुपूरक अधिनियम, 1954; विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954; निक्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 और निक्रांत हित (पृथक्करण) अधिनियम, 1951; और इसके अधीन बनाये गये नियमों का निरसन करने के लिए प्रस्तुत किया है। इसका आशय इन अधिनियमों का निरसन करना है क्योंकि अब ये अपनी उपयोगिता खो चुके हैं तथा अब इनका कोई दुरुपयोग भी नहीं होगा। गृह मंत्रालय की विभागीय संसदीय स्थायी समिति ने इस विधेयक पर विचार किया तथा अपनी रिपोर्ट 27 जुलाई, 2005 को इस सदन में प्रस्तुत की है। संसदीय स्थायी समिति ने इस विधेयक को इसी रूप में स्वीकार कर लिया है तथा यह सिफारिश की है कि इस विधेयक को इसके वर्तमान रूप में पारित किया जाए। राज्य सभा ने इस विधेयक पर 12 अगस्त, 2005 को विचार किया तथा इस पारित कर दिया है। हमें आशा है कि इस ि वधेयक को माननीय सदस्यों का समर्थन प्राप्त होगा।

अभी माननीय सदस्य चौधरी लाल सिंह जी ने कश्मीर के बारे में बात की है; इस बारे में राज्य सरकारों से भी विचार लिये गये हैं। यह अधिनियम सिर्फ 17 राज्यों से संबंधित है। आठ राज्य सरकारों ने इसे निरस्त करने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है तथा हमने आठ राज्य सरकारों को लिखा था कि वे 31 जनवरी, 2003 तक इस संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करा दें लेकिन उन्होंने इस संबंध में अपना कोई अभिप्राय नहीं दिया। इसलिए ऐसा समझा गया है कि उन्होंने इस विधेयक को निरसन करने के लिए कबूल किया cè[r57]। उसके कोर ग्रुप की जांच भी हुई है। हमारे विधि मंत्रालय ने भी उसकी जांच की है।...(व्यवधान) मैंने पहले ही बताया कि यह जो बिल है, यह 17 राज्यों के लिए है। यह अधिनियम 17 राज्यों से संबंधित था। यह जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं था।...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छी बात है लेकिन इनसे यह तो पूछा जाए कि उनके लिए फर्दर क्या करेंगे ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Chaudhary Lal Singh, you have said everything.

श्री माणिकराव होडल्या गावित : मैं विधेयक को संशोधन सहित पारित करने का अनुरोध करता हूं। संशोधन में यह है कि पृठ एक पर पंक्ति चार में सन् 2004 के स्थान पर 2005 किया जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That the Bill to repeal the Displaced Persons (Claims) Act, 1950 and certain other enactments, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

> "That clause 2 stand part of the Bill. "

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the long Title were added to the Bill.

SHRI MANIKRAO HODLYA GAVIT: I beg to move:

> "That the Bill be passed. "

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed. "

The motion was adopted.

15.34 hrs.